संख्या-129 /2016-1541/नौ-5-16-140बजट/2010

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 10 मई, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जनपद मेरठ की मेरठ पेयजल परियोजना हेतु उपरि गंगा नहर से 43 क्यूसेक की जलापूर्ति हेतु राजवाहो की लाइनिंग कार्य सम्बन्धी परियोजना हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ के पत्र संख्या-नि-558/मु0अ0गंगा/ दिनांक 16.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मेरठ की मेरठ पेयजल परियोजना हेतु उपरि गंगा नहर से 43क्यूसेक की जलापूर्ति हेतु राजवाहों की लाइनिंग की परियोजना की निर्धारित लागत रू0 12846.28 लाख (रू0 एक अरब अठ्ठाइस करोड़ छियालिस लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए शासनादेश संख्या-195/2015/2642/नौ-5-140बजट/2015, दिनांक 15-06-2015 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 1200.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-354/2015/6107/नौ-5-140बजट/2015, दिनांक 17.12.2015 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख तथा संख्या-51/2016/638/नौ-5-16-140बजट/2010टी0सी0 दिनांक 21.03.2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 1500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, का व्यय हो जाने के दृष्टिगत चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबन्धों एवं निर्देशों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर सिंचाई विभाग के सम्बन्धित इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पोस्टआफिस / पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को राकेने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रस्ताव का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य

go finance mangal font

बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) शासनादेश संख्या-195/2015/2642/नौ-5-140बजट/2015, दिनांक 15-06-2015 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों को पेयजल कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-129 /2016-154) (1) /नौ-5-16-140बजट/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, मेरठ ।
4- जिलाधिकारी, मेरठ ।
5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
7- नगर आयुक्त,नगर निगम,,मेरठ ।
8- अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-2, सिंचाई भवन, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता(गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ ।
10- सिचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-10/05/2016

प्रेषण संख्या:- 129

आवंटन आदेश संख्या:- 001-129-2016-1541-9-5-16-140B-2010

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को पेयजल कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 200000000	100000000 200000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	100000000 200000000	100000000 200000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बीस करोड़

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी